झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहरागोड़ा, घाटशिला एवं पटमदा पूर्वी सिंहभूम।

नामाकंन सूचना

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1018 दिनांक 03/12/2020 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2020–21–22 में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहरागोड़ा, घाटशिला एवं पटमदा में नामांकन हेतु JCECEB के द्वारा 2nd Online Counceling के समाप्ति के उपरान्त रिक्त सीटों पर निम्नलिखित NCVT व्यवसायों में प्रवेश के निमित इच्छुक उम्मीदवारों से अनुसूची–'क' के अनुरूप हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/ साधारण डाक/हाथों–हाथ दिनांक 25/01/2021 के अपराह्न 5 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

[A] औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम) में नामाकंन हेतु रिक्त सीटों की व्यवसायवार विवरणी–

Sl.No	Name of the Trade	Duration	Gen	EWS	ST	SC	BC-I	BC-II	PH	SMQ	TOTAL SEAT
1.	ELECTRICIAN	2 Years	3	4	4	2	3	3	1	1	21
2.	FITTER	2 Years	0	4	1	1	3	3	1	1	14
3.	MECH. DIESEL	1 Year	16	5	13	2	5	3	1	1	46
4.	WELDER	1 Year	15	4	10	2	4	3	1	1	40
	Total		34	17	28	7	15	12	4	4	121

[B] औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम) में नामाकंन हेतु रिक्त सीटों की व्यवसायवार विवरणी–

Sl. No	Name of the Trade	Duration	Gen	EWS	ST	SC	BC-I	BC-II	PH	SMQ	TOTAL SEAT
1.	ELECTRICIAN	2 Years	6	3	4	1	0	2	1	1	18
2.	FITTER	2 Years	1	4	0	2	1	3	1	1	13
3.	SURVEYOR	2 Years	8	2	6	1	2	2	1	1	23
4.	WELDER	1 Year	11	4	10	2	4	3	1	1	36
	Total		26	13	20	6	7	10	4	4	90

[C] औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटमदा (पूर्वी सिंहभूम) में नामाकंन हेतु रिक्त सीटों कीव्यवसायवार विवरणी–

Sl.No	Name of the Trade	Duration	Gen	EWS	ST	SC	BC-I	BC-II	PH	SMQ	TOTAL SEAT
1.	ELECTRICIAN	2 Years	0	4	9	1	0	1	1	1	17
2.	FITTER	2 Years	5	4	6	2	4	3	1	1	26
3.	MECH. DIESEL	1 Year	16	5	13	2	5	3	1	1	46
4.	WELDER	1 Year	15	4	10	2	4	3	1	1	40
	Total		36	17	38	7	13	10	4	4	129

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2020–21–22 में नामाकंन हेतु दिशा–निर्देश

1. **शैक्षणिक योग्यता–**

प्रवेश पाने हेतु शैक्षणिक योग्यता DGT द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समरूप होगा जो निम्नलिखित हैं–

(क) वेल्डर व्यवसाय के लिए न्यूनतम योग्यता आठवाँ (8वाँ) उतीर्ण।

(ख) शेष व्यवसायों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से जारी माध्यमिक/10वाँ/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के आधार पर।

(ग) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिला स्तरीय नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।

2. **आयु अहर्ता :–**

(क) 01 जुलाई 2020 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।

(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45वर्ष।

आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र/जन्म–मृत्यु निबंधक द्वारा निर्गत जन्म–प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैद्य होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म–तिथि वैद्य होगी।

3.शारीरिक योग्यता–

प्रशिक्षण के लिए उम्मीद्वारों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उम्मीद्वारो को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण भंग नही करेंगे।

4. सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।प्रवेश के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/(पचास रूपये) मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृति मिल सकती है।

6. **आरक्षण आहर्ताः–**

(क)झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

(ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जाएगा।

(ग) प्रत्येक व्यवसाय में एक –एक सीट क्रमशः दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित है।

7. **आवासीय अहर्ता** :–सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहरागोड़ा, घाटशिला एवं पटमदा में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं।झारखण्ड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या – 14/स्थानीय नीति–14–03/2016 का 4650 दिनांक 02 जून 2016 (संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी /उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामाकंन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8. **जाति आधारित अहर्ता** :–नामांकन में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/जा0नि0–03/2015/का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में झाखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अुनसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2015/का0–1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में क्रीमी लेयर अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हे ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

9. EWS कोटि के अंतर्गत आरक्षण लाभ लेने हेतु झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. सैनिक कर्मचारी कोटा के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम सैन्य अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र / सेवा मुक्ति प्रमाण–पत्र/ पेंशन बुक(सेवा निवृत सैन्य कर्मियों के लिये) प्राथमिकता क्रम के अनुसार निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12. **अनुलग्नकः–** अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य है– (क) प्रवेशिका अंक पत्र /आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत अंक पत्र(ख) कंडिका 7 में वर्णित अद्यतन आवासीय प्रमाण–पत्र (ग) आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक /10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र/आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र (घ) अद्यतन जाति प्रमाण–पत्र (च) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण–पत्र (दिव्यांग कोटि के लिए) (छ) जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (भूतपूर्व सैनिक कोटि कि लिए) स्वप्रमाणित छायाप्रति।

13. आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/साधारण डाक/हाथों–हाथ से दिनांकः– 25/01/2021 के अपराह्न 5:00बजे (फॉर्म जमा करने की अंतिम समय–सीमा) तक आवेदक जिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए उस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पता पर आवेदन भेंजे, आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम समय–सीमा के पष्चात प्राप्त आवेदन–पत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. पता निम्न रूप से है–

**(1) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहरागोड़ा, नियर फायर ब्रिगेड, बहरागोड़ा।
थाना+पोस्ट :– बहरागोड़ा, जिलाः– पूर्वी सिंहभूम, पिन कोडः– 832101.**

(2) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाटशिला, ग्रामः– तेतुलडांगा(डांगाडीह), पोस्टः– डोभा, थानाः– धालभूमगढ़, जिलाः– पूर्वी सिंहभूम, पिन कोडः– 832303.

(3) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटमदा, ग्राम+पोस्ट :– गोबरघुसी, थाना :– पटमदा, जिला :– पूर्वी सिंहभूम, पिन कोड :– 832105

नोटः–1. आवेदक आवेदन पत्र पर अपना मोबाइल नम्बर, वाट्सअप नम्बर एवं ई0मेल आई0 डी0 आवश्यक रूप से लिखें।

2. अनुसूची "क"(नामांकन फार्म) पूर्वी सिंहभूम जिला के वेबसाइट www.jamshedpur.nic.inसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा नियोजनालय, घाटशिला या संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। काउन्सेलिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट पूर्वी सिंहभूम जिला के वेबसाइट www.jamshedpur.nic.inजारी कर दी जाएगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गए मोबाइल नम्बर, Whatsapp No. तथा ई0मेल पर सूचना दी जाएगी। साथ ही काउन्सेलिंग हेतु बुलावा पत्र निबंधित डाक /स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी।

07/01/2021

प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
बहरागोड़ा/घाटशिला/पटमदा।

अनुसूची– नामांकन फार्म का विहित प्रपत्र

अनुसूची "क"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाये।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम : ....
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षर में) : ....
   (हिन्दी में) ....
3. (क) पिता का नाम : ....
   (ख) अभिभावक का नाम ....
4. पिता / अभिभावक का पेशा : ....
5. उम्मीदवार का पूरा पता
   (क) स्थायी पता : : ग्राम : .... पोस्ट : ....
   थाना : .... गृह जिला.................. पिन : .... ख)
   पत्राचार पता : :– ....

   ....
6. मोबाइल नम्बर / Whatsapp no.:–..............................7. ई0मेल आई0डी0 ....
8. आधार नम्बर :–.......... ....
9. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन : ....
10. जन्म–तिथि (प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) : ....
11. दिनांक 01 जुलाई 2020 को आयु : ....
12. शैक्षणिक योग्यता : ....

कृपया प्रवेशिका / माध्यमिक या समकक्षसे लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दे:–

क्र0स0	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने के वर्ष (वार्षिक / पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभियुक्ति
1.									
2.									
3.									

नोट:आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

13. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के सदस्यहै? (जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) ....

14.क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित है ?..............................

15.क्या उम्मीदवार दिव्यांग है ? ....

16.पिता / अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग–अलग संख्या : ...., ...

17. अनुलग्नकों की विवरणी :

1..............................2..............................3..............................4..................

.5..............................6..............................7..............................8..................

मैं .... पिता का नाम .... प्रमाणित करती हूँ / करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई हैं एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि..............................

आवेदक का हस्ताक्षर